GS AYURVEDAMEDICAL COLLEGE & HOSPITAL

N.H-24, Near Railway Station Pilkhuwa, District: - Hapur (U.P.) -245304

CHAUDHARY CHARAN SINGH UNIVERSITY DETAILS

Particulars	UNIVERSITY	VICE- CHANCELLOR	REGIS TRAR
Name	Chaudhary Charan Singh University	Prof. N. K. Taneja	Sh. Dhirendra Kumar
Address	CCS University Main Road	CCS University Main Road	CCS University Main Road
Road	CCS University Main Road	CCS University Main Road	CCS University Main Road
Town	Meerut	Meerut	Meerut
State	UP	UP	UP
Pin Code	200005	200005	200005
Phone	111111111111111111		01212764777
Office		12111111111111	+911212763539
Res.			
Fax			+911212764777
Email			registrar@ccsuniver sity.ac.in

चौधरी चरणसिंह विश्वविद्यालय, मेरठ Ch. Charan Singh University, Meerut

पत्रांक : सम्बद्धता / 5 7 9 5

दिनांक : 7 - 5 - 2 - 2 - 2 -

सम्बद्धता आदेश

असाधारण गजट नोटिफिकेशन संख्या—975/79—वि—1—14—1(क)19/2014 दिनांक 18.07.2014 द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथासंशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम, 2007) की धारा—37(2) के परन्तुक के अधीन जी०एस० आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, पिलखुवा, हापुड़ को चिकित्सा संकायान्तर्गत स्नातक स्तर पर बी०ए०एम०एस पाठ्यक्रम (100 सीट) में निम्नलिखित शर्तो के अधीन शैक्षिक सत्र 2018—19 (दिनांक 01.07.2018) से आगामी एक वर्ष हेतु सम्बद्धता की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

संस्था निरीक्षण आख्या एवं भारत सरकार द्वारा वर्णित शर्तों को पूर्ण कर लेगी।

2. संस्था शासन द्वारा निर्धारित फीस की धनराशि ही छात्रों से लेगी तथा बी०ए०एम०एस० में प्रवेश के माध्यम/विधि के सम्बन्ध में शासन द्वारा दिये गये दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3. संस्था महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उ०प्र० को प्रवेशित अभ्यर्थियों एवं रिक्तियों की सूचना नियमानुसार उनके द्वारा निर्धारित समय के अन्दर उन्हें उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगी तथा इस सम्बन्ध में समय—समय पर निर्गत होने वाले शासनादेशों का पालन करेगी।

4. संस्था द्वारा प्रवेशित विद्यार्थियों की परीक्षा आयुष मंत्रालय रेग्युलेशन के आधार पर निर्धारित पठन दिवस के

उपरान्त ही कराई जायेगी।

. संस्था द्वारा प्रवेश एवं परीक्षाओं आदि से सम्बन्धित विश्वविद्यालय परिनियमावली / अध्यादेश एवं सुसंगत

शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

6. माननीय कार्यपरिषद के आर्देशानुसार संस्थान को इस आशय के साथ अस्थाई रूप से सम्बद्धता प्रदान की गयी कि वह अगले सत्र में जब तक विश्वविद्यालय द्वारा उसको सम्बद्धता नहीं मिल जाती तब तक वह प्रवेश प्रक्रिया शुरू नहीं करेगा।

माननीय कार्यपरिषद की स्वीकृति दिनांक 24.12.2019 के आलोक में जी०एस० आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, पिलखुवा, हापुड़ को चिकित्सा संकायान्तर्गत स्नातक स्तर पर बी०ए०एम०एस पाठ्यक्रम (100 सीट) में निम्नलिखित शर्तों के अधीन शैक्षिक सत्र 2018—19 (दिनांक 01.07.2018) से आगामी एक वर्ष हेतु सम्बद्धता की स्वीकृति उपरोक्त शर्तों के साथ प्रदान की जाती है। इसी क्रम में यह भी सूच्य है कि उक्त पाठयक्रम में छात्रों के प्रवेश विश्वविद्यालय के निर्देशों के अनुसार किये जायेंगे।

भवदीय,

कुलसचिव

प्रतिलिपि :-

- 1. सचिव, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2. सचिव, जी०एस० आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, पिलखुवा, हापुड़।

3. सहायक कुलसचिव (लेखा) को सूचनार्थ ।

4. प्रभारी, कमैटी सैल, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।

5. प्रभारी, स्टोर, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रभारी, गोपनीय (प्रोफेशनल) सैल, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।

7. प्रभारी, इंटरनैट को इस आशय के साथ प्रेषित कि वह संदर्भित संस्थान पाठ्यक्रम का नाम बैवसाईट पर डालने का कष्ट करें।

गार्ड फाइल हेतु।